न्यायालय [illegible] अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण [illegible]

1. [illegible] पुत्र
2. [illegible] पुत्र
3. विनोद पुत्र
4. जशोदा बाई पुत्री

भैरूलाल जाति तेली निवासी महुआ तह0 मांगरोल जिला बारां

.... प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री रामस्वरूप नागर
दायरा दिनांकः 05.09.2011 निर्णय दिनांक : 05.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम महुआ तहसील मांगरोल में आराजियात खसरा नं0 535/984 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 543 रकबा 0.23 है0 एवं खसरा नं0 601 रकबा 0.22 है0 भूमि खाता संख्या 136 सम्मत 2067 से 70 में दर्ज है। उक्त आराजी जमाबंदी सम्वत 2030 से 34 में तथा सम्वत 2036 से 40 में आराजी खसरा नं0 592 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 599 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा कुल 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज थी। इस प्रकार 0.26 है0 भूमि कम दर्ज की गई है। अतः खाता संख्या 2036 से 40 खसरा नं0 592 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नं0 599 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा के मौके व नक्शे के आधार पर पैमाईश कराई जाकर नम्बरो का सही निर्धारण किया जाकर प्रार्थीगण का कुल रकबा 1.17 है0 कायम किया जावे तथा जो रकबे व रिकार्ड में कमी हुई है उसी रिकार्ड व नक्शे में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थीगण का खाता दुरूस्त किया जावे तथा 1.17 है0 भूमि उनके खाते दर्ज की जावें। पटवारी को आदेश दिये जावे कि वह मौके के अनुसार खसरा नं0 592 व 599 के जो नये नंबर हो उसकी रिपोर्ट करें वही नंबर प्रार्थीगण के खाते व नक्शे में दर्ज किये जावे। खाते व नक्शे दोनो को संशोधित किये जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त संबंध में तहसीलदार मांगरोल से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्रांकः भू.अ./2017/5

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

05.07.2017 के द्वारा अंकित किया कि दौराने सेटलमेंट प्रार्थीगण के गत रकबे की तुलना में 0.32 की कमी दर्ज हुई है। मौका एवं अभिलेख नक्शा एवं रेकार्ड का मिलान करने पर लगता है कि प्रार्थी का रकबा नहर में जाना प्रतीत होता है। नक्शे अनुसार प्रार्थी के साबिक खसरा 599 के मध्य एवं 599 के एक तरफ से होकर माइनर निकलने के कारण रकबे में कमी हुई है। अतः उक्त कारण से प्रार्थीगणो के कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीगण ने बाद सेटलमेंट हुई कमी रकबे की पूर्ति करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का रकबा नहर में जाना प्रतीत होता है। नक्शे अनुसार प्रार्थी के साबिक खसरा 599 के मध्य एवं 599 के एक तरफ से होकर माइनर निकलने के कारण रकबे में कमी हुई है। प्रार्थीगण की आराजी के समीपस्थ किसी भी खसरा नम्बरान में रकबा बढा हुआ नही है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नही किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जानी है। तथा ना ही मिलान क्षेत्रफल संलग्न किया है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प महुआ मजमेंआम में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल